उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग—9 अधिसूचना प्रकीर्ण

23 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 179/2015/XXVII(9)/स्टाम्प-42/2008—श्री राज्यपाल महोदय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 74 और 75 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2011 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2015 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2.

नियम 13 का संशोधन

उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2011 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है।) में नीचे स्तम्म–1 में दिये गये वर्तमान नियम 13 के शीर्षक सहित के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये शीर्षक सहित मियम रख दिया जायेगा; अर्थात्—

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम

स्तम्म–2 एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम

13 प्राधिकृत संग्रह केन्द्र की नियुक्ति के लिये पात्रता मानदण्ड—
नियम 12 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन कोई अनुसूचित बैंक, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित कोई वित्तीय संस्था अथवा उपकम और डाकघर अथवा केन्द्रीय अभिलेख—अनुरक्षण—अभिकरण द्वारा अधिकृत कोई अभिकरण जो राज्य सरकार की सहमति से नियुक्त हो, प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

13 प्राधिकृत संग्रह केन्द्र की नियुक्ति के लिये पात्रता मानदण्ड—
नियम 12 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन कोई अनुसूचित बैंक, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित कोई वित्तीय संस्था अथवा उपक्रम, डाकघर, कॉमन सर्विस सेन्टर (राष्ट्रीय ई— गवर्नेन्स योजना (NeGP) के अन्तर्गत संचालित) और कोई व्यक्ति (अकेले व्यक्ति को सम्मिलित करते हुये) अथवा केन्द्रीय अभिलेख —अनुरक्षण—अभिकरण द्वारा अधिकृत कोई अभिकरण जो राज्य सरकार की सहमित से नियुक्त हो, प्राधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

प्रारूप-1 का संशोधन मूल नियमावली के नियम—6 के उपनियम (1) में प्रकल्पित प्रारूप—1 (अनुबन्ध) के स्थान पर नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान पैरा—3 के शीर्षक सहित उप—पैरा 3.2 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिये गये शीर्षक सहित उप—पैरा रख दिया जायेगा; अर्थात्—

स्तम्म-1

वर्तमान पैरा

3— अनुमोदित मध्यवर्तियों अर्थात् प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की नियुक्ति— 3.2 अनुमोदित मध्यवर्तियों में से, अनुसूचित बैंक, वित्तीय संस्थान, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, व्यावसायिक व्यक्ति, डाकखाना, बीमा—विनियमन विकास प्राधिकरण मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी अथवा कोई अन्य व्यक्ति/संस्था, जैसा कि सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय, अधिमानतः (वरीयता से) प्राधिकृत संग्रह केन्द्र हो सकते है।

स्तम्म-2

एतद्द्वारा प्रस्तावित पैरा

3— अनुमोदित मध्यवर्तियों अर्थात् प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों की नियुक्ति—

3.2 अनुमोदित मध्यवर्तियों में से अनुसूचित बैंक, वित्तीय संस्थान, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, व्यावसायिक व्यक्ति, डाकखाना, कॉमन सर्विस सेन्टर (राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना (NeGP) के अन्तर्गत संचालित) बीमा— विनियमन विकास प्राधिकरण मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनी अथवा कोई अन्य व्यक्ति (अकेले व्यक्ति को सम्मिलित करते हुये)/ संस्था, जैसा कि सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय, अधिमानतः (वरीयता से) प्राधिकृत संग्रह केन्द्र हो सकते है।

आज्ञा से, राकेश शर्मा, अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 179/2015/XXVII(9)/ Stamp-42/2008, Dehradun, dated July 23, 2015 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

July 23, 2015

No. 179/2015/XXVII(9)/Stamp-42/2008--In exercise of the powers conferred by Article 74 and 75 of the Indian Stamp Act, 1899, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Stamp (Payment of Duty by Means of E-stamp Certificates) Rules, 2011.

THE UTTARAKHAND STAMP (PAYMENT OF DUTY BY MEANS OF E-STAMP CERTIFICATES) (AMENDMENT) RULES, 2015

- Short title and commencement-1. (1) The Uttarakhand Stamp (Payment of Duty by Means of E-stamp Certificates) (Amendment) Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force at once.
- Amendment of Rule 13 2.
- In the Uttarakhand Stamp (Payment of Duty by Means of E-Stamp Certificates) Rules, 2011 (hereinafter referred to as principal rules), the existing rule 13 with title as set out in column 1 below, the rule with title as set out in column 2, shall be substituted as follows; namely:-

Column-1

Existing rule

13 Eligibility criteria for appointment of Authorised Collection Centre-

Any scheduled bank any financial institution or undertaking controlled by the Central Government or the the Government, or the Post Office or any agency will be eligible for appointment as Authorised Collection Centre or any agency authorised by CRA in consultant with the State Govt. subject to prior apporoval of the Appointing Authority under Rule 12.

Amendment of From-1(Amended) 3.

Column-1

Existing para

3- Appointment of approved intermediaries /Authorised collection centers (ACCs)-

3.2 Amongst the approved intermediaries, the Authorised collection centers could preferably by a Sheduled Bank, Financial Institution, Chartered Accountant firm, Recognized Institution of professionals, Post Office; Insurance Regulatory Development Authority Recognized insurance company or any other person (other than individual)/institution as approved by the Government.

Column-2

rule as hereby substituted

13 Eligibility criteria for appointment of Authorised Collection Centre-

Any Scheduled Bank, any financial institution 600 controlled undertaking by the Government or the State Government, the Post Office, Common service centre {Operating under e-governance plan (NeGP)} any (including individual) or any agency will be eligible for appointment as Authorised Collection Centre or any agency authorised by CRA in consultant with the State Government. subject to prior apporoval of the Appointing Authority under Rule 12.

In the principal rule the from-1 (Agreement) envisaged in sub rule (1) of rule (6) substituted by in the existing From-1 (Amended), the sub- para 3.2 of para 3 as set out in column 1 blow, the as set out in column 2, shall be substituted as follows; namely:-

Column-2

para as hereby substituted

3- Appointment of approved intermediaries /Authorised collection centers (ACCs)-

3.2 Amongst the approved intermediaries, the Authorised collection centers could preferably by a Sheduled Bank, Financial Institution, Chartered Accountant firm, Recognized Institution of professionals, Post Office; Common service centre {Operating under egovernance plan (NeGP)}Insurance Regulatory Development Authority Recognized insurance company or any other person (including individual)/ institution as approved by the Government.

By Order.

RAKESH SHARMA, Add. Chief Secretary.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 22-08-2015, माग 1 में प्रकाशित। [प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित---] पी०एस०यु० (आर०ई०) 36 वित्त / 513-14-09-2015-100 (कम्प्यूटर / रीजियो)।